



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र 1943 (श10)

(सं0 पटना 220) पटना, शुक्रवार, 26 मार्च 2021

04/नि. अधि. (कैश क्रेडिट-11)-04/2020-खण्ड-B/3172

सहकारिता विभाग

संकल्प

23 दिसम्बर 2020

विषय:- खरीफ विपणन मौसम 2020-21 से बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0. को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/ अन्य वित्तीय संस्थाओं से 3500 करोड़ (तीन हजार पाँच सौ करोड़) रुपये ऋण प्राप्त करने हेतु राजकीय गारंटी प्रदान करने के संबंध में।

1. वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में राज्य के कृषकों को उनके धान उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा आपात बिक्री (Distress Sale) रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्सों) एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है।

2. राज्य सरकार के निर्णयानुसार कृषकों को पैक्सों/व्यापार मंडलों में आपूर्ति किये गये धान का भुगतान PFMS के माध्यम से उनके खाता के माध्यम से किया जाना है। इसके निमित्त पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक में स्थित उनके खाता के माध्यम से कृषकों को भुगतान किया जाता है। पैक्सों द्वारा राज्य खाद्य निगम को चावल की आपूर्ति की जाती है तथा राज्य खाद्य निगम द्वारा तदनुसार निर्धारित मूल्य के अनुसार पैक्सों को भुगतान किया जाता है। इस पूरे अधिप्राप्ति चक्र के समुचित रूप से संचालन हेतु पैक्सों/व्यापार मंडलों के पास पर्याप्त राशि रहना अपेक्षित है।

3. पैक्सों/व्यापार मंडलों के पास वित्तीय संसाधन पर्याप्त नहीं रहने के कारण पैक्सों/व्यापार मंडलों को कैश-क्रेडिट की सुविधा केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। राज्य सरकारी बैंक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को कैश-क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराती है।

4. राज्य सहकारी बैंक के द्वारा धान अधिप्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य के मूल्य का 40% राशि कैश-क्रेडिट ऋण पैक्सों को उपलब्ध कराने हेतु 3500 करोड़ (तीन हजार पाँच सौ करोड़) की आवश्यकता है। बिहार राज्य सरकारी बैंक लि0. पटना के पत्रांक 6880 दिनांक 11.12.2020 के द्वारा रु0 2000 करोड़ ऋण एवं रु01500 करोड़ ऋण प्राप्त करने हेतु राजकीय गारंटी का प्रस्ताव विभाग को दिया गया था।

पूर्व में धान अधिप्राप्ति के लिए राज्य सरकार से 2000 करोड़ रु0 3%ब्याज की दर पर प्राप्त करने तथा शेष 1500 करोड़ रु0 ऋण के रूप में प्राप्त करने का प्रस्ताव था। वित्त विभाग द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति के आलोक में संचिका संख्या-04/नि0 अधि0(कैश क्रेडिट-11)-4/2020 में सरकारी ऋण देने की सहमति नहीं दी गई है। तदनुसार कुल 3500 करोड़ रु0 की राशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता है।

5. राज्य सहकारी बैंक को नाबार्ड/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली/अन्य वित्तीय संस्थाओं से इस अतिरिक्त राशि को ऋण के रूप में प्राप्त करने हेतु राजकीय गारंटी की आवश्यकता होती है। खरीफ विपणन मौसम 2020-2021 से अधिप्राप्ति कार्य के बाधा रहित क्रियान्वयन एवं किसानों को ससमय न्यूनतम समर्थन मूल्य पैक्स/व्यापार मंडलों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूँजी उपलब्ध कराने हेतु राज्य सहकारी बैंक को अतिरिक्त राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु राजकीय गारंटी प्रदान करना समुचित होगा।

6. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में राज्य सहकारी बैंक लि0 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य वित्तीय संस्थानों से 3500 करोड़ (तीन हजार पाँच सौ करोड़) रुपये ऋण प्राप्त करने हेतु राजकीय गारंटी प्रदान किया जायेगा।

7. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22.12.2020 में मद सं0-11 के रूप में (संचिका सं0-04/नि0अधि0 (कैश क्रेडिट-11)-04/2020 "खंड-B" पृष्ठ 8/टि0) स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
आनन्द शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 220-571+20-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>